बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या व.सं. / 70 / 2022– 756

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 09/10/2024

विषय – भारतमाला परियोजना के तहत मधुबनी जिलान्तर्गत उमागाँव–कलुआही (0.00–21.610 कि०मी० NH-227L) पथ, साहरघाट–रहिका (0.00–26.135 कि०मी० NH-227J) पथ एवं विदेश्वर स्थान–भेजा (0.00–25.915 कि०मी० NH-227A) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 39.1096 हे० (संशोधित 32.27 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्रांक FP/BR/Road/154991/2022/1467 दिनांक 04.10.2023 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना के तहत मधुबनी जिलान्तर्गत उमागाँव–कलुआही (0.00–21.610 कि०मी० NH-227L) पथ, साहरघाट–रहिका (0.00–26.135 कि०मी० NH-227J) पथ एवं विदेश्वर स्थान–भेजा (0.00–25.915 कि०मी० NH-227A) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 39.1096 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार के पत्रांक 25 (ई0) दिनांक 05.01.2023 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था।

2. प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक 987 दिनांक 16.03.2023 द्वारा पृच्छा किया गया था जिसका अनुपालन प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के पत्रांक 315 दिनांक 28.04.2023 द्वारा MoEFF&CC, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को भेजा गया।

3. MoEFF&CC, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा प्रस्ताव को दिनांक 28.06.2023 को Regional Empowered Committee (REC) की आयोजित बैठक में रखा गया एवं प्रस्ताव पर दिनांक 06.07.2023 को पृच्छा प्रेषित किया गया जिसका निराकरण प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के पत्रांक 632 दिनांक 05.09.2023 द्वारा MoEFF&CC, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को भेजा गया।

4. MoEFF&CC, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा प्रस्ताव को दिनांक 26.09.2023 को Regional Empowered Committee (REC) की आयोजित बैठक में रखा गया एवं पुनः प्रस्ताव पर दिनांक 04.10.2024 को पृच्छा प्रेषित किया गया जिसके अनुपालन का अनुरोध नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के पत्रांक 743 दिनांक 19.10.2023 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास एवं प्रयोक्ता एजेंसी से किया गया था।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला के पत्रांक 2503 दिनांक 08.10.2024 एवं वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 727 दिनांक 20.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक FP/BR/Road/154991/2022/1467 दिनांक 04.10.2023 के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला द्वारा दिनांक 16.10.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया एवं स्थल निरीक्षण में ज्ञात हुआ कि पूर्व में प्रस्ताव भारत सरकार को अनुशंसा के समय कुछ स्थानों पर गैर वन भूमि को भी सम्मलित कर लिया गया था जिसके कारण से 39.1096 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित किया गया था।

6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण के उपरान्त 32.27 हे0 वन भूमि अपयोजन के लिये संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव पर भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

7. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 32.27 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है।

8. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा संशोधित भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.5 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 32.27 हे० वन भूमि का अपयोजन होना है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में अंकित किया गया है कि पारियोजना निर्माण के क्रम में कुल 3693 वृक्ष प्रभावित होगें जिसमें से 2805 वृक्षों का पातन एवं 888 वृक्षों का पुनर्स्थापन प्रस्तावित किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला द्वारा संशोधित भाग–II एवं संशोधित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन इस प्रकार वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा संशोधित भाग–III एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र Stage-I पत्र में अधिरोपित शर्त्तों के अनुपालन के साथ भेजा जायेगा।

9. परियोजना निर्माण से संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में गठित क्षेत्रीय सक्षम समिति द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

10. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 32.27 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 78.2192 हे० अवकृष्ट वन भूमि को जमुई वन प्रमंडल अन्तर्गत झाझा वन प्रक्षेत्र के बैजला (PF) को चिन्हित कर दस वर्षीय वृक्षारोपण प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की [illegible] अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

2. 32.27 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 13.57110 लाख प्रति हे० के दर से रू० 4,37,93,940/- (रूपये चार करोड़ सैतीस लाख तिरानवें हजार नौ सौ चालीस) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

3. अपयोजित होने वाली 39.1096 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये जमुई वन प्रमंडलान्तर्गत 78.2192 हे० अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 2,21,92,468/- (रूपये दो करोड़ इक्कीस लाख बानवें हजार चार सौ अड़सठ) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है, के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1648/- रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की संशोधित दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्रांक FP/BR/Road/154991/2022/1467 दिनांक 04.10.2023 द्वारा किये गये पृच्छा का अनुपालन निम्नलिखित है-

Sl. No.	Point	Compliance
1	The Committee examined the KML file of the proposal ans was surprised to find that the road side protected forest which is proposed for diversion is highly infesed with encroachment as several houses, permanent structures, habitation are visible on the satellite imagery of the area. Therefore, the committee asked SFD, Bihar to carry out a joint inspection by the concerned DFO & PD,PIU, NHAI to explain the cause of encroachment and to define the fool-proof process of encroachment eviction, DFO also needs to explain the action/effort taken by him/her against the encroachment.	1. The Joint inspection of DFO & PD, PIU, NHAI was taken on 16.10.2023. After this during field inspection on 11.05.2024 NHAI was again asked to coordinate with District administration, Madhubani for removal of eviction from the said encroached land. 2. The land proposed for diversion is roadside notified protected forest area, whose ownership does not lie with forest department rather with NHAI. NHAI is the applicant agency for removal of eviction from its own land. 3. NHAI through its letter no. 462 dt. 08.11.2023 has also mentioned that the encoachments will be removed with the help of District administration and this issue has also been discussed during the meeting held with district administration, Madhubani and sincere efforts are being made to remove the encroachments. 4. District Magistrate, Madhubani had been requested to direct concerned officials to cause eviction ftom the land. (NHAI letter no. 348 dt. 07.06.2024 - **Annex -III**) 5. Subsequently, DLAO, Madhubani has deputed a team to facilitate eviction process. (Letter no. 666 dt. 09.07.2024 attached – **Annex -IV**) 6. Currently the process of carrying out eviction is under the process and due coordination is being maintained between NHAI and District administration, Madhubani. 7. DFO has also requested to DM, Madhubani to provide assistance in this matter. (DFO letter

		no. 2496 dt. 07.10.2024 attached – **Annex-V**)
2	The Committee also wanted to know if there is any R&R plan for the intended eviction. If yes, then R&R plan may also submit to this office.	1. NHAI has informed through letter no. 462 dt. 08.11.2023 that there is no provision for R&R plan for encroachments as per NH Act, 1956 in case of this project.
3	This proposal also involves translocation of a large number of roadside trees. Committee reiterated the demand it has been raising from SFD and NHAI for status report on the translocated trees in several previous projects of NHAI. Committee expressed its great displeasure on the fact that translocation report of committee for more than ine months now. So once again, detailed report related to earlier approved NHAI project in which large number of trees proposed for translocation may be provided to this office to check viability of translocation.	1. As per available record there is no approved project of NHAI in this forest division in which translocation of large no. of trees have been done. 2. NHAI through its letter no. 462 dt. 08.11.2023 has submitted the details of translocation of trees under RO- Patna of NHAI.(**Annex -VI**)
4	कमेटी ने राज्य सरकार से यह भी अनुग्रह किया है कि जब तक बिन्दु संख्या–3 में वांछित प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरणए NHAI द्वारा प्रस्तुत न कर दिया जाये, इनसे संबंधित किसी भी वन–प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को केन्द्र सरकार का अग्रेषित न किया जाये।	1. NHAI through its letter no. 462 dt. 08.11.2023 has submitted the details of translocation of trees under RO- Patna of NHAI.(**Annex -VI**)

उपर्युक्त के आलोक में प्रस्ताव पर भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

PART-IV

(To be filled in by Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

In the Up-gradation, Widening and Strengthening work for 2-lane with Paved Shoulder for existing portion stretch from Hatwaria near Umagaom Juction (Design KM 0.00) to Kaluahi (Design Km 21.609) (Section-I) NH-227 L, Saharghat (Design KM 0.00) to Rahika (Design KM 26.13) (Section-II) NH-227J, & Bideshwarsthan (Design Km 0.00) to Bheja (Design Km 25.915) (Section-IV) NH-527 A total length 73.655 KM Road passes through madhubani district involving the use and diversion of aggregate area of 32.27 ha of forest land notified as "Protected Forest" being the tree plantations along the above above mentioned roads in madhubani districts is essential requirement for Up-gradation, Widening and Strengthening work for 2-lane with Paved Shoulder for existing portion above mention Road and is justified in that context.

Therefore the proposed diversion of the 32.27 ha of forest lands under reference is recommended with the stipulations and conditions mentioned in the forwarding letter.

Date : 09.10.2024
Place : Patna

Signature 9/10/24
Name & Designation – Arvinder Singh
APCCF (CAMPA)-cum-Nodal Officer (FC)
(Official Seal)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना

भारतमाला परियोजना के तहत मधुबनी जिलान्तर्गत उमागाँव–कलुआही (0.00–21.610 कि०मी० NH-227L) पथ, साहरघाट–रहिका (0.00–26.135 कि०मी० NH-227J) पथ एवं विदेश्वर स्थान–भेजा (0.00–25.915 कि०मी० NH-227A) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 32.27 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियों रेफेरेन्स मैप	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
7	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
10	वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
11	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153143
ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

	translocation of a large number of roadside trees. Committee reiterated the demand it has been raising from SFD and NHAI for status report on the translocated trees in several previous projects of NHAI. Committee expressed its great displeasure on the fact that translocation report of committee for more than ine months now. So once again, detailed report related to earlier approved NHAI project in which large number of trees proposed for translocation may be provided to this office to check viability of translocation.	of NHAI in this forest division in which translocation of large no. of trees have been done. 2. NHAI through its letter no. 462 dt. 08.11.2023 has submitted the details of translocation of trees under RO- Patna of NHAI.(**Annex -VI**)

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सादर अनुरोध है कि उल्लेखित परियोजना में आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

08/10/24

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मिथिला वन प्रमण्डल, दरभंगा

MR
8/10/2024

वाली भूमि क्षेत्र की गणना सूची संलग्न – Annex -I) के भूमि अपयोजन का संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक–1442, दिनांक–11.07.2024 के माध्यम से अनुशंसित कर वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर को समर्पित किया गया। समर्पित प्रस्ताव में अपयोजित होने वाली भूमि की विवरणी निम्नवत् है–

S. No.	Section name	Forest land area (Ha.) – proposed for diversion	Comment
1	**Section-I:** Umagaon to Kaluahi (Ch. 0.0 to 21.610 km) (NH-227L)	8.8175	Certain part of the road which was reported as notified forest earlier was found to be non-forest, hence area has been reduced. Detailed area calculation sheet with chainagewise calculation is attached again with this letter. This has been also mentioned in letter no. 462 dt. 08.00.2023 (**Annex-II**) of NHAI.
2	**Section-II:** Saharghat to Rahika (Ch. 0.0 to 26.135 km) (NH-227J)	13.266	
3	**Section-IV:** Bideshwar Asthan to Bheja (Ch. 0.0 to 25.915 km) (NH-527A)	10.1865	
	Total:-	**32.27**	

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से माँग की गई वांछित प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नवत् समर्पित है–

Pointwise compliance report in light of the letter no. 1467 dt. 03.10.2023 of Regional Office, MoEFCC, GOI,Ranchi

S. No.	Point	Compliance
1	The Committee examined the KML file of the proposal ans was surprised to find that the road side protected forest which is proposed for diversion is highly infesed with encroachment as several houses, permanent structures, habitation are visible on the satellite imagery of the area. Therefore, the committee asked SFD, Bihar to carry out a joint inspection by the concerned DFO & PD,PIU, NHAI to explain the cause of encroachment and to define the fool-proof process of encroachment eviction, DFO also needs to explain the action/effort taken by him/her against the encroachment.	1. The Joint inspection of DFO & PD, PIU, NHAI was taken on 16.10.2023. After this during field inspection on 11.05.2024 NHAI was again asked to coordinate with District administration, Madhubani for removal of eviction from the said encroached land. 2. The land proposed for diversion is roadside notified protected forest area, whose ownership does not lie with forest department rather with NHAI. NHAI is the applicant agency for removal of eviction from its own land. 3. NHAI through its letter no. 462 dt. 08.11.2023 has also mentioned that the encoachments will be removed with the help of District administration and this issue has also been discussed during the meeting held with district administration, Madhubani and sincere efforts are being made to remove the encroachments. 4. District Magistrate, Madhubani had been requested to direct concerned officials to cause eviction ftom the land. (NHAI letter no. 348 dt. 07.06.2024 - **Annex -III**) 5. Subsequently, DLAO, Madhubani has deputed a team to facilitate eviction process. (Letter no. 666 dt. 09.07.2024 attached – **Annex -IV**) 6. Currently the process of carrying out eviction is under the process and due coordination is being maintained between NHAI and District administration, Madhubani. 7. DFO has also requested to DM, Madhubani to provide assistance in this matter. (DFO letter no. 2496 dt. 07.10.2024 attached – **Annex-V**)
2	The Committee also wanted to know if there is any R&R plan for the intended eviction. If yes, then R&R plan may also submit to this office.	1. NHAI has informed through letter no. 462 dt. 08.11.2023 that there is no provision for R&R plan for encroachments as per NH Act, 1956 in case of this project.
3	This proposal also involves	1. As per available record there is no approved project

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमण्डल, दरभंगा

दूरभाष–06272–242324 ई–मेलः–dfodarbhanga@gmail.com लहेरियासराय दरभंगा–846001

पत्रांकः– 2503 दिनांकः– 08-10-2024

प्रेषक,

भास्कर चन्द्र भारती, भा0व0से0
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मिथिला वन प्रमण्डल, दरभंगा

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–
सह–नोडल पदाधिकारी(कैम्पा),
बिहार, पटना।

विषयः– भारतमाला परियोजना के तहत मधुबनी जिलान्तर्गत उमगाँव–कलुआही (0.000–21.610 किमी0 NH 227L), साहरघाट–रहिका (0.000–26.135 किमी0 NH 227L) एवं विदेश्वर–स्थान–भेजा (0.000–25.915 कि0मी0 NH 527A) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण बिहार राज्य अन्तर्गत–वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/BR/ROAD/154991/2022) के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय कार्यालय पत्रांक– 743 दिनांक– 19.10.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कथनीय है कि भारतमाला परियोजना के तहत मधुबनी जिलान्तर्गत उमगाँव–कलुआही (0.000–21.610 किमी0 NH 227L), साहरघाट–रहिका (0.000–26.135 किमी0 NH 227L) एवं विदेश्वर–स्थान–भेजा (0.000–25.915 कि0मी0 NH 527A) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव पर इस कार्यालय द्वारा वन भूमि अपयोजन से संबंधित प्रस्ताव पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा पार्ट–2 में आवश्यक प्रविष्टि करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक– 1442 दिनांक– 11.07.2024 के द्वारा वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर को समर्पित कि गयी थी। इस परियोजना में पूर्व में कुल 39.1096 हेक्टेयर के भूमि अपयोजन का प्रस्ताव तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी के द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक– 2114 दिनांक– 19.10.2022 के माध्यम से वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर को समर्पित किया गया था।

Sectionwise area detail of 39.1096 ha area sent for diversion earlier					
S. No.	**Section name**	**Forest land area (Ha.)**	**Non-Forest land area (Ha.)**	**Total area (Ha.)**	**Comment**
1	**Section-I:** Umagaon to Kaluahi (Ch. 0.0 to 21.609 km) (NH-227L)	8.8894	66.5319	75.4213	
2	**Section-II:** Saharghat to Rahika (Ch. 0.0 to 26.130 km) (NH-227J)	19.9905	49.4612	69.4517	
3	**Section-IV:** Bideshwar Asthan to Bheja (Ch. 0.0 to 26.130 km) (NH-527A)	10.2297	67.2744	77.5041	
	Total:-	**39.1096**	183.2675	222.3771	

इसके पश्चात् दिनांक–16.10.2023 को तत्कालिन वन प्रमण्डल पदाधिकारी को स्थलीय निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ की इस परियोजना में कुछ भूमि अधिसूचित वन भूमि नहीं है। तत्पश्चात् सबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, बेनीपट्टी को इस कार्यालय के पत्रांक–2033, दिनांक–20.10.2023 के माध्यम से संशोधित जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, बेनीपट्टी से प्राप्त संशोधित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक एजेंसी को भूमि अपयोजन के संशोधित प्रस्ताव समर्पित करने का अनुरोध किया गया(**मिथिला वन प्रमण्डल का पत्रांक–2058, दिनांक–30.10.2023**)। इसके पश्चात् आवेदक एजेंसी के द्वारा अपने पत्रांक–462, दिनांक–08.11.2023 के माध्यम से कुल 32.27 हेक्टेयर के भूमि अपयोजन का संशोधित प्रस्ताव समर्पित किया गया। इस संशोधित प्रस्ताव को तत्कालिन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा जॉचोपरांत इस कार्यालय के पत्रांक–2205, दिनांक–21.11.2023 के माध्यम से अनुशंसित कर वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर को समर्पित किया गया। दिनांक– 06.12.2023 को वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर के द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान वृक्षों की सूची में त्रुटि पायी गयी, जिसका निराकरण कर प्रस्ताव पुनः समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

इसके पश्चात् प्राप्त संशोधित प्रस्ताव पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.05.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं प्रस्ताव के पार्ट–2 में आवश्यक प्रविष्टि कर कुल कुल 32.27 हेक्टेयर **(अपयोजित होने**